

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत अनिल राम पिता श्री यमुना राम निवासी ग्राम: चमातु थाना: बालुमाथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 96, 96, 56, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 139, 203, 56, 56, 11, 11 और 11 के अधीन प्लॉट सं. 678, 705, 455, 1531, 169, 211, 227, 259, 579, 506, 517, 524, 578, 567, 2459, 1656, 1692, 105, 129 और 1378; कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त दस दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विनयां प्रि  
०५/०५/२०२३